न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ

बइजलास ओम प्रकाश शर्मा आरएएस

प्रकरण सं. 63/2015/251–ए आरटीए

मंगली पत्नी सुण्डाराम जाति जाट निवासी पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रार्थीया

ब ना म

1. सोहनी देवी पत्नी स्व. अर्जुन जाति जाट निवासी पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. राकेश
3. सुरेन्द्र
4. प्रेम

} पुत्रगण स्व. अर्जुन नाबालिग जरिये माता सोहनी देवी

समस्त जाति जाट निवासीगण पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

5. छोटूराम पुत्र महादेव जाति जाट निवासी पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
6. तहसीलदार, दातारामगढ जिला सीकर
7. उप तहसीलदार, पलसाना जिला सीकर

–अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1. श्री योगेश शर्मा वकील प्रार्थीया की ओर से

निर्णय

दिनांक– 07/5/18

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 2982 कुल रकबा 2.27 है0 तन ग्राम बधाला की ढाणी प.मं. पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। प्रार्थीया को अपने उक्त खसरा नंबर 2982 संलग्न नक्शा ट्रेस में दर्शाए अनुसार अनावेदक सं. 1 ता 4 की पश्चिमी सीमा के सहारे तथा अनावेदक सं. 5 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 16 फीट चौड़ा 109 मीटर लम्बा क्षेत्रफल 193 वर्गमीटर रास्ता चाहते है। चाहे गये रास्ते का अंकन संलग्न नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया गया है। चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थीया के पास वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीया को अपने खेत में पहुंचने हेतु

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण की भूमि में से बताये गये उपरोक्त विवरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है। उक्त रास्ते के बिना प्रार्थीया अपने खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग करने से संपूर्णतया वंचित हो जायेंगें। यह प्रार्थना पत्र मेरी खातेदारी भूमि के बेहतर उपयोग हेतु रास्ते के सम्बन्ध में आज्ञा प्रदान करने हेतु प्रस्तुत कर रहे है एवं इस्तदुआ प्रस्तुत करता हूं कि हमें हमारी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 2982 कुल रकबा 2.27 है0 ग्राम बधाला की ढाणी प.मं. पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के उपयोग उपभोग हेतु वांछनीय एकमात्र रास्ता जो खसरा नंबर 2980/1/1 रकबा 0.2426 है0 में 5 फीट चौड़ा व खसरा नंबर 2980/1/2 रकबा 0.1074 है0 में से 11 फीट चौड़ा कुल 16 फीट को संलग्न नक्शा ट्रेस में दर्शाए अनुसार अनावेदक सं. 1 ता 4 की पश्चिमी मेड़ के सहारे सहारे तथा अनावेदक सं. 5 की पूर्वी मेड़ के सहारे 16 फीट चौड़ा 109 मीटर लम्बा क्षेत्रफल 193 वर्गमीटर दिलवाने की कृपा करें।

2. आवेदन पेश होने पर आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं उप तहसीलदार, पलसाना जिला सीकर से मौका रिपोर्ट एवं डीएलसी दर चाही गईं। अप्रार्थी सं. 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने पर आवेदन अं.आदेश 9नियम 7 सीपीसी पेश होने पर वकील प्रार्थीया द्वारा अनापति व्यक्त किये जाने पर आवेदन अं.आदेश 9 नियम 7 सीपीसी स्वीकार किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 5 ने जरिये वकील बिन्दुवार जवाब आवेदन पेश कर विशेष कथन में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 2980/1/1 एंव 2980/1/2 तन ग्राम बधाला की ढाणी में से आवेदिका का धारा 251–ए के तहत कोई रास्ता सम्बन्धी क्लेम नहीं बनता है परन्तु फिर भी यदि माननीय न्यायालय आवेदक को उसके द्वारा चाहा गया रास्ता दिलवाना वांछित समझे तो उतरदातागण के रास्ते में जाने वाली जमीन के आवेदिका की भूमि खसरा नंबर 2982 में से 5 गुणा जमीन प्रतिकर के रूप में दिलवाये जाने की कृपा करें क्योंकि उतरदातागण की भूमि नेशनल हाइवे पर लगती हुई है तथा आवेदिका की भूमि खसरा नंबर 2982 से 5 गुणा अधिक कीमती है।

3. पत्रावली न्याय आपके द्वार–2018 कैम्प पलसाना में पेश हुई। वकुलाय फरीकेन के योग्य अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वादिया एवं अप्रार्थीगण ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नंबर 2980/1/1 रकबा 0.2426 है0 व खसरा नंबर 2980/1/2 रकबा 0.1074 है0 भूमि में से होकर जो रास्ता अपने खेत खसरा नंबर 2982 रकबा 2.27 है0 के लिए चाहा है यह स्वीकार है। रास्ता अनावेदकगण की कृषि भूमि, जो आवेदन में वर्णित है, में से कम करके दे दिया जावें तथा नक्शा ट्रेस में अंकन कर दिया जावें तो अप्रार्थीगण को कोई एतराज नही है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार दे दिया जावें। अनावेदकगण सं. 1 ता 4 व अनावेदक सं. 5

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

को उपरोक्त कृषि भूमि की एवज में आवेदिया के खेत खसरा नंबर 2982 रकबा 2.27 है0 की उतरी सीमा पर कृषि भूमि खसरा नंबर 2980/1/1 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे आवेदक की कृषि भूमि खसरा नंबर 2982 में 212 वर्गमीटर भूमि (उतरी सीमा के सहारे) अनावेदकगण 1 ता 4 को दे दी जावें व खसरा नंबर 2980/1/2 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे आवेदिका के खसरा नंबर 2982 रकबा 2.27 है0 की उतरी सीमा पर में से 423 वर्गमीटर भूमि अनावेदक सं. 5 को दे दी जावें। उपरोक्त प्रकरण में अब हमारे बीच आपस में बाह्मी राजीनामा हो गया है तथा मुताबिक राजीनामा उक्त आवेदित रास्ते का भविष्य में उपयोग उपभोग में मंगली देवी व सोहनी देवी पत्नी स्व. अर्जुन व छोटूराम पुत्र महादेव व उनके परिजन समान रूप से उपयोग व उपभोग करेंगे जिसमें आवेदिका द्वारा कोई किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं की जावेगी। अनावेदक गण ने रास्ते के बदले जमीन प्राप्त की है इसलिए अब डीएलसी की दुगुनी राशि प्राप्त नहीं करेंगें। इस प्रकार राजीनामा अनुसार रास्ता व राजीनामा को आदेशित किया जावें कि उक्त राजीनामा की कृषि भूमि की नक्शा ट्रेश में पक्षकारान के अंकन करने की कृपा करें। असल इकरारनामा (लिखावट) दिनांक 05.09.2016 राजीनामा के साथ पेश की है जो संलग्न है।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख,आपसी राजीनामा व तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वाके ग्राम बधाला की ढाणी प.मं. पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की डीएलसी दर मंगवाई गई जो मौका रिपोर्ट की पुश्त पर है जिसके अनुसार ग्राम बधाला की ढाणी प.मं. पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के खसरा नंबर 2980/1/1 रकबा 0.2426 में से **96x1.52** यानि 142 वर्गमीटर व खसरा नंबर 2980/1/2 रकबा 0.1074 में से **96x 3.35** यानि 322 वर्गमीटर भूमि रास्ते के लिए आवश्यकता होगी। उक्त भूमि की डीएलसी दर 48,58,000 रू. प्रति, हैक्टेयर H. ~~वर्गमीटर~~ है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीया के आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नजदीक नहीं है। चूंकि भूमि के बदले भूमि दिये जाने का आवेदन स्वीकार किये जाने व मुताबिक राजीनामा अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नंबर 2980/1/1 रकबा 0.2426 है0 व खसरा नंबर 2980/1/2 रकबा 0.1074 है0 भूमि में से होकर जो रास्ता अपने खेत खसरा नंबर 2982 रकबा 2.27 है0 के लिए रास्ता अनावेदकगण की कृषि भूमि में से कम करके दिये जाने तथा नक्शा ट्रेस में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है व अनावेदकगण सं. 1 ता 4 व अनावेदक सं. 5 को उपरोक्त कृषि भूमि की एवज में आवेदिया के खेत खसरा नंबर 2982 रकबा 2.27 है0 की उतरी सीमा पर कृषि भूमि खसरा नंबर 2980/1/1 की दक्षिणी सीमा के सहारे आवेदक की कृषि भूमि खसरा नंबर 2982 में 212 वर्गमीटर भूमि (उतरी सीमा के

[illegible], दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

सहारे) अनावेदकगण 1 ता 4 को व खसरा नंबर 2980/1/2 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे आवेदिका के खसरा नंबर 2982 रकबा 2.27 है0 की उतरी सीमा पर में से 423 वर्गमीटर भूमि अनावेदक सं. 5 को मुताबिक राजीनामा दिये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक राजीनामा उक्त आवेदित रास्ते का भविष्य में उपयोग उपभोग में मंगली देवी व सोहनी देवी पत्नी स्व. अर्जुन व छोटूराम पुत्र महादेव व उनके परिजन समान रूप से उपयोग व उपभोग करेंगे जिसमें आवेदिका द्वारा कोई किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं की जावेगी। अनावेदक गण ने रास्ते के बदले जमीन प्राप्त की है इसलिए अब डीएलसी की दुगुनी राशि प्राप्त नहीं करेंगें। इस प्रकार राजीनामा अनुसार उक्त कृषि भूमि का राजस्व अभिलेख में व नक्शा ट्रेश में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन अं.धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम बधाला की ढाणी प.मं. पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग किये जाने हेतु सिवाय चक गै.मु. रास्ता के रूप में कायम किये जाने हेतु उप तहसीलदार, पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को आदेश दिये जाते है कि ग्राम बधाला की ढाणी प.मं. पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के खसरा नंबर 2980/1/1 रकबा 0.2426 में से **96x1.52** यानि 142 वर्गमीटर व खसरा नंबर 2980/1/2 रकबा 0.1074 में से **96x 3.35** यानि 322 वर्गमीटर भूमि को चिन्हिकरण कर एवं अनावेदकगण सं. 1 ता 4 व अनावेदक सं. 5 को उपरोक्त कृषि भूमि की एवज में आवेदिया के खेत खसरा नंबर 2982 रकबा 2.27 है0 की उतरी सीमा पर कृषि भूमि खसरा नंबर 2980/1/1 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे आवेदक की कृषि भूमि खसरा नंबर 2982 में 212 वर्गमीटर भूमि (उतरी सीमा के सहारे) अनावेदकगण 1 ता 4 को व खसरा नंबर 2980/1/2 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे आवेदिका के खसरा नंबर 2982 रकबा 2.27 है0 की उतरी सीमा पर में से 423 वर्गमीटर भूमि अनावेदक सं. 5 को मुताबिक राजीनामा खातेदारान को दिलवाने की कार्यवाही करने एवं मौके पर नपती की जाकर सिवाय चक गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नियमानुसार राजस्व अभिलेख जमाबंदी में अंकन व नक्शे में तरमीम करवाकर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में रकबा व लगान का अंकन किया जावें। तदनुसार तहरीर जारी हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 07/05/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner